



प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 11.10.2026

क्राइम ब्रांच गाजियाबाद व थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान थाना लिंक रोड व थाना मधुबन बापूधाम से वांछित 50 हजार का ईनामी अन्तर्राज्यीय शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से थाना लिंक रोड क्षेत्र से चोरी फॉर्चूनर कार बरामद।

आज दिनांक 10/10/2026 को क्राइम ब्रांच गाजियाबाद व थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र लिंक रोड के सूर्यनगर चौराहे पर चेकिंग की जा रही थी, तभी एक सफेद रंग की फॉर्चूनर कार सामने से आती हुई दिखाई दी। जिसे रुकने का इशारा पुलिस पार्टी द्वारा किया गया तो उक्त फॉर्चूनर कार सवार व्यक्तियों द्वारा कार को न रोककर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करते हुए कार को मोड़कर भागने लगे। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में कार को चला रहे एक व्यक्ति के दोनों पैर में गोली लगी जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। घायल व्यक्ति ने नाम पता पूछने पर अपना नाम फरमान पुत्र मेहरबान निवासी समर गार्डन थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ बताया। पुलिस मुठभेड़ में घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। 01 अन्य अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1. फरमान पुत्र मेहरबान निवासी समर गार्डन थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ उम्र 29 वर्ष।

बरामदगी का विवरण -

1.01 तमंचा 315 बोर 02 खोखा कारतूस व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर

2.01 फॉर्चूनर कार सफेद रंग(रजिस्ट्रेशन नंबर UP16DU 0500)

बरामद कार थाना लिंक रोड क्षेत्र से चोरी की गई थी। जिसके सम्बन्ध में थाना लिंक रोड पर मु0अ0सं0 218/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है।

अपराधिक इतिहास – अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है। अभियुक्त के विरुद्ध लूट, चोरी, हत्या के प्रयास, बलात्कार एवं गैंगस्टर सहित लगभग 100 मुकदमे दर्ज हैं। अभियुक्त थाना लिंक रोड व थाना मधुबन बापूधाम से वांछित चल रहा था। अभियुक्त पर थाना लिंक रोड से 50 हजार रुपए का पुरस्कार घोषित चल रहा था।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. क्राइम ब्रांच गाजियाबाद
2. थाना लिंक रोड पुलिस टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त की निशांदेही से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद ।

दिनांक 09/10/2026 को वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त प्रेमपाल पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी हाल पता-दौलतनगर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद मूल पता- ग्राम झाझर थाना ककोड़ जनपद बुलंदशहर द्वारा मेरी बहन को जान से मारने की नियत से चाकू से गले पर वार कर देना जिससे मेरी बहन का गंभीर रूप से घायल हो जाना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर सुसंगत धारा 109(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

तत्पश्चात दिनांक 10/10/2026 को मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त प्रेमपाल पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी दौलतनगर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 34 वर्ष को चौकी क्षेत्र पुस्ता से गिरफ्तार किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैं ट्रोनिका सिटी में एक कम्पनी में काम करता हूँ । मेरी शादी वादी की बहन के साथ वर्ष 2018 में हुयी थी । एक दिन मैंने अपनी पत्नी को किसी अज्ञात व्यक्ति से वीडियो कॉल करते हुये देखा । दिनांक 08.10.2026 को शाम के समय मेरा अपनी पत्नी से इसी बात को लेकर कहासुनी हो गयी जिस कारण मैंने गुस्से में आकर रसोई में जाकर सब्जी काटने वाले चाकू से जान से मारने की नियत से अपनी पत्नी के गले पर वार कर घायल कर दिया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

प्रेमपाल पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी हाल पता-दौलतनगर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद मूल पता- ग्राम झाझर थाना ककोड़ जनपद बुलंदशहर, उम्र करीब 34 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण –

निशांदेही से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम ।

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद ।

दिनांक 02.10.2026 को थाना मोदीनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात चोर द्वारा मेरी मोटर साइकिल लोकप्रिय हॉस्पिटल से चोरी कर ले जाना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर सुसंगत धारा-303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अभियुक्त की गिरफ्तारी व वाहन की बरामदगी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

तत्पश्चात आज दिनांक 11.10.2026 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान उपरोक्त वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त आदित्य पुत्र सूरजपाल निवासी मॉडल टाउन, मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र 18 वर्ष को थाना क्षेत्र मोदीनगर से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से

चोरी की गई 01 मोटर साइकिल बरामद हुई है। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि यह मोटरसाइकिल मैंने लोकप्रिय हॉस्पिटल, मोदीनगर के सामने से चोरी की थी। जिसको मैंने घनी झाड़ियों में छिपा दिया था। आज मैं इसे बेचने की फिराक में था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के नाम व पता-

आदित्य पुत्र सूरजपाल निवासी मॉडल टाउन मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र 18 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त मोटर साइकिल चोरी के सम्बन्ध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है व पूर्व में अभियुक्त के विरुद्ध चोरी व चोरी के सामान की बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पर 07 अभियोग व थाना साहिबाबाद पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना का 12 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले अभियुक्त व अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अवैध देशी तमंचा 315 बोर बरामद व 01 खोखा कारतूस बरामद।

दिनांक 11.10.2026 को थाना खोडा पर वादिया ने लिखित तहरीर दी कि उसका भाई अंशुल अपनी पत्नी निशा के साथ किराये के कमरे वन्दना विहार खोडा में रहते थे। दोनों नोएडा में सिलाई की कम्पनी में काम करते थे। उनके साथ हमारा मौसेरा बहनोई पप्पू उर्फ गंगा भगत भी रह रहा था। इसी बीच मेरी भाभी निशा व पप्पू उर्फ गंगा भगत के आपस में प्रेम सम्बन्ध हो गये थे। इस बात की शिकायत अंशुल ने कई बार हमसे भी की थी लेकिन लोक-लाज के कारण हमने आपस में समझा बुझा दिया था। निशा व पप्पू अंशुल को रास्ते से हटाकर आपस में शादी करना चाहते थे। इसी योजना के तहत दिनांक 10.10.2026 को निशा व पप्पू ने मिलकर मेरे भाई अंशुल की गोली मारकर हत्या कर दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खोडा पर मु0अ0सं0 411/26 धारा 103(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 11.10.2026 को थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त हत्या की घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण 1. पप्पू उर्फ गंगा भगत पुत्र सूधरपाल निवासी ग्राम ओलरापुर थाना मैगलगंज जनपद खीरी 2- अभियुक्ता निशा पत्नी अंशुल निवासी मौहल्ला वन्दना विहार थाना खोडा गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त पप्पू की निशानदेही पर घटना

में प्रयुक्त 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर पप्पू ने बताया कि हम करीब 02 माह से खोडा वन्दना विहार में एक ही किराये के कमरे में रह रहे थे। मेरी पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। दूसरी पत्नी गांव में रहती है। पिछले करीब 02 वर्ष से मेरे व निशा के आपस में प्रेम सम्बन्ध थे। यह बात अंशुल को पता चल गयी और उसने कई बार इसकी शिकायत अपने परिवार में भी की थी, झगड़ा भी हुआ था। लेकिन लोक-लाज के कारण परिवार वालों ने आपस में समझा बुझा दिया था। हम दोनों अंशुल को रास्ते से हटाकर आपस में शादी करना चाहते थे। हमने अंशुल को मारने की योजना बनाई और मैं अपने गांव से एक तमंचा व कारतूस ले आया था। मैंने व निशा ने उसे कमरे में झुपा कर रख दिया था। निशा व अंशुल नोएडा में सिलाई की एक ही कम्पनी में काम करते थे। अंशुल ने 02 दिन की छुट्टी ले ली थी। निशा ने छुट्टी नहीं ली थी। अंशुल घर पर अकेला था। मौका पाकर इसी योजना के तहत दिनांक 10.10.2026 को मैंने अंशुल की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की सारी बात मैंने निशा को फोन पर बतायी थी क्योंकि दिनांक 10.10.2026 को मैं लगातार फोन पर निशा के सम्पर्क में था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता:-

1. पप्पू उर्फ गंगा भगत उम्र करीब पुत्र सूधरपाल निवासी ग्राम ओलरापुर थाना मैगलगंज जनपद खीरी उम्र करीब 35 वर्ष
2. निशा पत्नी अंशुल निवासी मौहल्ला वन्दना विहार थाना खोडा गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अवैध देशी तमंचा 315 बोर बरामद व 01 खोखा कारतूस बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना खोडा पर उक्त हत्या के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना खोडा पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 01 किलो 121 ग्राम अवैध गांजा व गांजा की बिक्री के 3020/- रुपये नगद बरामद ।

आज दिनांक 11.10.2026 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त तौसीब पुत्र मोहम्मद कुदूस निवासी निठोरा रोड लक्ष्मी गार्डन लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष को 80 फुटा रोड खत्ता कूडा के पास शालीमार गार्डन गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 किलो 121 ग्राम अवैध गांजा व गांजा बिक्री के 3020/- रुपये नगद बरामद हुए। उक्त बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं चोरी छिपे दिल्ली से गांजा खरीद कर लाता हूँ तथा गाजियाबाद व दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में नशा करने वाले राह चलते लोगों को अधिक दामों में बेच देता हूँ। ये जो रुपये हैं गाँजे की बिक्री के हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

तौसीब पुत्र मोहम्मद कुदूस निवासी निठोरा रोड लक्ष्मी गार्डन लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

कब्जे से कुल 01 किलो 121 ग्राम अवैध गांजा व गांजा की बिक्री के 3020/- रुपये नगद बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम ।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा अवैध आतिशबाजी पटाखों के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 03 प्लास्टिक बॉरे में भिन्न-भिन्न प्रकार के अवैध आतिशबाजी पटाखे बरामद ।

दिनांक 10.10.2026 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर अवैध आतिशबाजी पटाखों के साथ अभियुक्त अनुराग चौहान पुत्र ओमकार सिंह निवासी ज्ञानखंड-1 थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र करीब 41 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 03 प्लास्टिक के बॉरे में भिन्न-भिन्न प्रकार में मिश्रित अवैध आतिशबाजी पटाखे बरामद हुये । उक्त बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 9बी(1)(बी) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने आगामी त्यौहारों पर बेचने के उद्देश्य से ये अवैध पटाखे चोरी-छिपे अपनी दुकान पर लाकर रखे थे जिन्हे बेचकर मैं आर्थिक लाभ कमाना चाहता था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

अनुराग चौहान पुत्र ओमकार सिंह निवासी ज्ञानखंड-1 थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र करीब 41 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण -

कब्जे से 03 प्लास्टिक बॉरे में भिन्न-भिन्न प्रकार के अवैध आतिशबाजी पटाखे बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर उक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम ।

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा मोबाइल चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 02 मोबाइल फोन बरामद ।

दिनांक 10.10.2026 को थाना टीला मोड़ पर वादी शहीद पुत्र निजामुद्दीन द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक 09.10.2026 की रात्रि को अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर से 02 मोबाइल फोन चोरी कर ले जाना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना टीला मोड़ पर धारा 305(a) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

तत्पश्चात थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस की मदद से मोबाइल चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्त शाहरुख पुत्र लियाकत निवासी फौजी वाली गली इकबाल कॉलोनी पसौंड़ा थाना टीला मोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी के

02 मोबाइल बरामद हुए। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा-317(2) बीएनएस की बढौतरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने ये 02 मोबाइल फोन एक घर से मौका पाकर रात्रि में चोरी कर लिये थे जिन्हें बेचकर मैं अपने शौक पुरा करना चाहता था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शाहरुख पुत्र लियाकत निवासी फौजी वाली गली इकबाल कॉलोनी पसौंडा थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

चोरी के 02 मोबाइल फोन बरामद।

आपराधिक इतिहास:-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर उक्त चोरी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा पूर्व से एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के कुण्डल बरामद।

दिनांक 10.10.2026 को श्री ब्रिजेश उर्फ विनु पुत्र मन्दु सिंह द्वारा आज्ञित चोर के द्वारा वादी की माताजी के कानों के कुण्डल चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना टीला मोड़ पर तहरीर दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना टीला मोड़ पर सुसंगत धारा 305(a) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले अभियुक्त बिट्टू पुत्र स्व० तुलसीराम निवासी बुद्ध विहार, मण्डोली थाना हर्ष विहार दिल्ली उम्र करीब 34 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी के कुण्डल पीली धातु, बरामद हुए। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा- 317(2) बीएनएस की बढौतरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं नशा करने का आदी हूँ। मैंने कृष्णा विहार कुटी के एक घर से पर्स में रखे ये कुण्डल चोरी कर लिये थे जिन्हें मैं बेचने की फिराक में था कि पुलिस ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

बिटू पुत्र स्व० तुलसीराम निवासी बुद्ध विहार, मण्डोली थाना हर्ष विहार दिल्ली उम्र करीब 34 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी के कुण्डल पीली धातु, बरामद

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा थाना लोनी बॉर्डर पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

थाना टीलामोड पुलिस टीम।

क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद द्वारा गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से चार पहिया वाहन चोरी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के सरगना 50 हजार रुपये के ईनामी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करते हुए गैंग के कुल 04 शातिर सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 03 कार व फर्जी नम्बर प्लेट बरामद।

- दिनांक 01.08.2026 को थाना मधुबन बापूधाम क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों द्वारा वादी की अलकाजार (ALCAZAR) कार नम्बर UP14 EV 4707 घर की पार्किंग से देर रात चोरी कर ली गयी थी। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना मधुबन बापूधाम पर मु०अ०सं० 236/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।
- दिनांक 10.09.2026 को थाना लिंक रोड क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों द्वारा वादी की फॉर्चुनर कार नम्बर UP16DU 0500 देर रात घर की पार्किंग से चोरी कर ली गयी थी। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना लिंकरोड पर मु०अ०सं० 218/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।
- इससे पूर्व दिनांक 03.08.2026 को थाना पंजाबी बाग वेस्ट दिल्ली क्षेत्र से भी क्रेटा कार चोरी की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना पंजाबी बाग वेस्ट दिल्ली में मु०अ०सं० 18046/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था

क्षेत्र में लगातार हो रही चार पहिया वाहन चोरी की घटनाओं की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस आयुक्त कमिश्नर गाजियाबाद द्वारा उक्त घटनाओं के अनावरण व अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु अपराध शाखा (Crime Branch) को निर्देशित किया गया। क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद में एन्टी ऑटो थेफ्ट यूनिट व सर्विलांस यूनिट द्वारा संकलित साक्ष्यों के आधार पर उक्त चार पहिया वाहन चोरी की घटनाओं में 1. इमरान पुत्र मेहरबान नि० समर गार्डन थाना लिसाडीगेट मेरठ 2. फरमान पुत्र मेहरबान नि० समर गार्डन थाना लिसाडीगेट मेरठ व 3. रंजीत सिंह उर्फ जीत पुत्र दर्शन सिंह निवासी शाहबाजपुर थाना पसियाना जनपद पटियाला पंजाब 4. मनप्रीत सिंह पुत्र मेवा सिंह निवासी रतनगढ़ पांटेवडी थाना तरमगढ़ जनपद संगरूर पंजाब का नाम प्रकाश में आया।

- दिनांक 06.10.2026 को क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद द्वारा इस गिरोह के इमरान पुत्र मेहरबान नि0 समर गार्डन थाना लिसाडीगेट मेरठ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पंजाबी बाग वेस्ट दिल्ली क्षेत्र से चोरी क्रेटा कार बरामद की गयी। अभियुक्त इमरान के विरुद्ध एनसीआर में 15 से अधिक अभियोग पंजीकृत होना पाया गया। इमरान से की गयी पूछताछ से थाना लिंकरोड क्षेत्र से चोरी हुई फॉर्च्युनर कार फरमान के कब्जे में होने की बात प्रकाश में आयी।
- अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध/मुख्यालय) कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा गिरोह के सरगना फरमान की गिरफ्तारी पर 50,000/- का पुरस्कार भी घोषित किया गया था।

घटना क्रम (दिनांक 10.10.2026)

- दिनांक 10.10.2026 को क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद को मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि गिरोह के सरगना अभियुक्त फरमान उपरोक्त फॉर्च्युनर कार से थाना क्षेत्र लिंक रोड में आने वाला है। इस सूचना पर क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद द्वारा सूर्यनगर चौराहे पर चेकिंग की जा रही थी, तभी एक सफेद रंग की फॉर्च्युनर कार सामने से आती हुई दिखाई दी। जिसे रुकने का इशारा पुलिस पार्टी द्वारा किया गया तो उक्त फॉर्च्युनर कार सवार व्यक्तियों द्वारा कार को न रोककर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करते हुए कार को मोड़कर भागने लगे। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में कार को चला रहे एक व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लगी जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। घायल व्यक्ति ने नाम पता पूछने पर अपना नाम फरमान पुत्र मेहरबान निवासी समर गार्डन थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ बताया। पुलिस मुठभेड में घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। 01 अन्य अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा।
- दिनांक 10.10.2026 को क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद द्वारा इस गिरोह के रंजीत सिंह उर्फ जीत पुत्र दर्शन सिंह निवासी शाहबाजपुर थाना पसियाना जनपद पटियाला पंजाब व मनप्रीत सिंह पुत्र मेवा सिंह निवासी रतनगढ़ पांटेवडी थाना तरमगढ़ जनपद संगरूर पंजाब को थाना क्षेत्र लिंकरोड से गिरफ्तार कर इनके कब्जे से पंजाबी बाग वेस्ट दिल्ली क्षेत्र से चोरी बलेनो कार बरामद की गयी।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्तगणों ने बताया कि उनका गिरोह मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, हरियाणा व दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में चार पहिया वाहनों की चोरी करने व चोरी किये गये वाहनों की खरीद-फरोख्त करने वालों का एक संगठित गिरोह है। इस गिरोह में अब तक गिरफ्तार इमरान, फरमान उर्फ नागिन, व पंजाब निवासी रंजीत व मनप्रीत के अलावा वांछित साहबजादा ,दानिश व मोहसिन सक्रिय सदस्य हैं। जिनमें फरमान उर्फ नागिन गिरोह का सरगना है। इमरान व फरमान दोनों सगे भाई हैं एवं थाना लिसाडी गेट के हिस्ट्रीशीटर अपराधी हैं। इमरान व फरमान उर्फ नागिन डिमाण्ड के अनुसार अपने साथियों के साथ गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, हरियाणा व दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से चार पहिया गाड़ियों की चोरी करते हैं तथा चोरी किये वाहनों को पंजाब निवासी अपने साथी रंजीत व मनप्रीत को अच्छी कीमतों पर बेच देते हैं। अवैध असलाह की बरामदगी के सम्बन्ध में पूछताछ पर बताया कि चोरी करने के दौरान यदि कोई व्यक्ति आस-पास आ जाता है तो उसको डराने धमकाने के लिए अपने

पास रखते हैं। चोरी किये गये वाहनों को बेचने से जो मुनाफा होता है उसको बराबर-बराबर आपस में बांट लेते हैं और अपने घर से खर्चे व अपने शौक पूरे करते हैं।

बरामदगी का विवरण:-

1. एक क्रेटा कार सफेद रंग (पंजाबी बाग वेस्ट दिल्ली क्षेत्र से चोरी)
2. एक फॉर्चुनर कार सफेद रंग (थाना क्षेत्र लिंक रोड़ गाजियाबाद से चोरी)
3. एक बलेनो कार ग्रे रंग (पंजाबी बाग वेस्ट दिल्ली क्षेत्र से चोरी)

अभियुक्त फरमान उर्फ छोटे उर्फ नागिन का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0-881/2016 धारा 363,366,376डी, 506 भादंवि व 3/4 पोक्सो एक्ट थाना इंचौली मेरठ
2. मु0अ0सं0-364/2017 धारा 356,379 भादंवि थाना सिविल लाइन मेरठ
3. मु0अ0सं0-434/2017 धारा 392,411 भादंवि थाना सिविल लाइन मेरठ
4. मु0अ0सं0-342/2017 धारा 392 भादंवि थाना सिविल लाइन मेरठ
5. मु0अ0सं0-550/2017 धारा 379,356 भादंवि थाना सिविल लाइन मेरठ
6. मु0अ0सं0-09/2018 धारा 392 भादंवि थाना सिविल लाइन मेरठ
7. मु0अ0सं0-10/2018 धारा 392 भादंवि थाना सिविल लाइन मेरठ
8. मु0अ0सं0-08/2018 धारा 392 भादंवि थाना सिविल लाइन मेरठ
9. मु0अ0सं0-540/2017 धारा 379,356 भादंवि थाना सिविल लाइन मेरठ
10. मु0अ0सं0-491/2017 धारा 379,356 भादंवि थाना सिविल लाइन मेरठ
11. मु0अ0सं0-548/2017 धारा 379,356 भादंवि थाना सिविल लाइन मेरठ
12. मु0अ0सं0-547/2017 धारा 379,356 भादंवि थाना सिविल लाइन मेरठ
13. मु0अ0सं0-565/2017 धारा 379,356 भादंवि थाना सिविल लाइन मेरठ
14. मु0अ0सं0-12/2018 धारा 392 भादंवि थाना सिविल लाइन मेरठ
15. मु0अ0सं0-01/2018 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सिविल लाइन मेरठ
16. मु0अ0सं0-805/2017 धारा 392 भादंवि थाना मेडिकल मेरठ
17. मु0अ0सं0-794/2017 धारा 392 भादंवि थाना मेडिकल मेरठ
18. मु0अ0सं0-817/2017 धारा 392 भादंवि थाना मेडिकल मेरठ
19. मु0अ0सं0-832/2017 धारा 392 भादंवि थाना मेडिकल मेरठ
20. मु0अ0सं0-792/2017 धारा 392,506 भादंवि थाना मेडिकल मेरठ
21. मु0अ0सं0-840/2017 धारा 307 भादंवि थाना मेडिकल मेरठ
22. मु0अ0सं0-06/2018 धारा 356,379 भादंवि थाना मेडिकल मेरठ
23. मु0अ0सं0-21/2018 धारा 392 भादंवि थाना मेडिकल मेरठ
24. मु0अ0सं0-20/2018 धारा 392 भादंवि थाना मेडिकल मेरठ

25. मु0अ0सं0-871/2017 धारा 379,356 भादंवि थाना मेडीकल मेरठ
26. मु0अ0सं0-867/2017 धारा 392 भादंवि थाना मेडीकल मेरठ
27. मु0अ0सं0-04/2018 धारा 392 भादंवि थाना मेडीकल मेरठ
28. मु0अ0सं0-872/2017 धारा 392 भादंवि थाना मेडीकल मेरठ
29. मु0अ0सं0-873/2017 धारा 392 भादंवि थाना मेडीकल मेरठ
30. मु0अ0सं0-841/2017 धारा 379,356 भादंवि थाना मेडीकल मेरठ
31. मु0अ0सं0-768/2017 धारा 379,356 भादंवि थाना मेडीकल मेरठ
32. मु0अ0सं0-770/2017 धारा 392 भादंवि थाना मेडीकल मेरठ
33. मु0अ0सं0-829/2017 धारा 379,356 भादंवि थाना मेडीकल मेरठ
34. मु0अ0सं0-825/2017 धारा 379,356 भादंवि थाना मेडीकल मेरठ
35. मु0अ0सं0-812/2017 धारा 392 भादंवि थाना मेडीकल मेरठ
36. मु0अ0सं0-29/2018 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना लिसाडीगेट मेरठ
37. मु0अ0सं0-30/2018 धारा 41/102 सीआरपीसी व 411,414 भादंवि थाना लिसाडीगेट मेरठ
38. मु0अ0सं0-28/2018 धारा 307 भादंवि थाना लिसाडीगेट मेरठ
39. मु0अ0सं0-718/2017 धारा 307 भादंवि थाना लिसाडीगेट मेरठ
40. मु0अ0सं0-215/2025 धारा 109(1)/115(2)/191(2)/324(3)/333/351(2)/352 बीएनएस थाना लिसाडी गेट मेरठ
41. मु0अ0सं0-755/2025 धारा 3(2) गैंगस्टर एक्ट थाना लिसाडी गेट मेरठ
42. मु0अ0सं0-132/2024 धारा 147,148,149,427,323,307,452,506,34 भादंवि थाना लिसाडी गेट मेरठ
43. मु0अ0सं0-427/2026 धारा 317(2)/317(4)/317(5)/318(4)/61(2) बीएनएस थाना लिसाडी गेट मेरठ
44. मु0अ0सं0-373/2017 धारा 379,356 भादंवि थाना लालकुर्ती मेरठ
45. मु0अ0सं0-02/2018 धारा 379,356 भादंवि थाना लालकुर्ती मेरठ
46. मु0अ0सं0-168/2017 धारा 379,356 भादंवि थाना लालकुर्ती मेरठ
47. मु0अ0सं0-355/2017 धारा 379,356 भादंवि थाना लालकुर्ती मेरठ
48. मु0अ0सं0-874/2017 धारा 379,356 भादंवि थाना नौचंदी मेरठ
49. मु0अ0सं0-54/2018 धारा 392 भादंवि थाना नौचंदी मेरठ
50. मु0अ0सं0-876/2017 धारा 379,356 भादंवि थाना नौचंदी मेरठ
51. मु0अ0सं0-868/2017 धारा 379,356 भादंवि थाना नौचंदी मेरठ
52. मु0अ0सं0-55/2018 धारा 392 भादंवि थाना नौचंदी मेरठ
53. मु0अ0सं0-948/2017 धारा 379,356 भादंवि थाना नौचंदी मेरठ
54. मु0अ0सं0-52/2018 धारा 379,356 भादंवि थाना नौचंदी मेरठ
55. मु0अ0सं0-873/2017 धारा 392 भादंवि थाना नौचंदी मेरठ

56. मु0अ0सं0-14/2018 धारा 379,356 भादंवि थाना नौचंदी मेरठ
57. मु0अ0सं0-951/2017 धारा 379,356 भादंवि थाना नौचंदी मेरठ
58. मु0अ0सं0-394/2018 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना नौचंदी मेरठ
59. मु0अ0सं0-136/2025 धारा 317(2)/317(4)/317(5)/318(4)/109 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना नौचंदी मेरठ
60. मु0अ0सं0-233/2026 धारा 317(2)/317(4)/317(5)/318(4)/109 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना नौचंदी मेरठ
61. मु0अ0सं0-03/2018 धारा 307 भादंवि थाना रेलवे रोड़ मेरठ
62. मु0अ0सं0-02/2018 धारा 379,356 भादंवि थाना रेलवे रोड़ मेरठ
63. मु0अ0सं0-707/2017 धारा 392,342 भादंवि थाना दौराला मेरठ
64. मु0अ0सं0-13/2018 धारा 392,411 भादंवि थाना सदर बाजार मेरठ
65. मु0अ0सं0-322/2024 धारा 411 भादंवि थाना सिहानीगेट गाजियाबाद
66. मु0अ0सं0-335/2023 धारा 379 भादंवि थाना लिंक रोड़ गाजियाबाद
67. मु0अ0सं0-408/2023 धारा 411, 412, 414,420, 467,468, 471,482,34 भादंवि व 3/25 A Act थाना सेक्टर-20 गौतमबुद्धनगर
68. मु0अ0सं0-392/2023 धारा 379 भादंवि थाना फेस-2 गौतमबुद्धनगर
69. मु0अ0सं0-342/2023 धारा 379 भादंवि थाना सेक्टर-20 गौतमबुद्धनगर
70. मु0अ0सं0-365/203 धारा 379 भादंवि थाना सेक्टर-20 गौतमबुद्धनगर
71. मु0अ0सं0-401/2023 धारा 411,412, 414,420, 467,468, 471, 482, 34 भादंवि व 3/25 A Act थाना सेक्टर-20 गौतमबुद्धनगर
72. मु0अ0सं0-224/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नोएडा सेक्टर-24 गौतमबुद्धनगर
73. मु0अ0सं0-214/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नोएडा सेक्टर-24 गौतमबुद्धनगर
74. मु0अ0सं0-224/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नोएडा सेक्टर-113 गौतमबुद्धनगर
75. मु0अ0सं0-246/2025 धारा 109/3(5)/317(4)/345(3) बीएनएस व 3/5/27 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-113 गौतमबुद्धनगर
76. मु0अ0सं0-210/2024 धारा 221/132/121(1)/109(1)/111(3) बीएनएस व 25/27 आर्म्स एक्ट थाना क्राइम ब्रान्च दिल्ली
77. मु0अ0सं0-31867/2024 धारा 305(बी)/317(2)/3(5) बीएनएस थाना मॉडल टाउन दिल्ली
78. मु0अ0सं0-32668/2024 धारा 305(बी) बीएनएस थाना प्रशान्त विहार दिल्ली
79. मु0अ0सं0-29061/2024 धारा 305(बी) बीएनएस थाना प्रशान्त विहार दिल्ली
80. मु0अ0सं0-32210/2024 धारा 305(बी) बीएनएस थाना प्रशान्त विहार दिल्ली
81. मु0अ0सं0-30886/2024 धारा 305(बी) बीएनएस थाना मालवीय नगर दिल्ली
82. मु0अ0सं0-026076/2023 धारा 379,411,34 भादंवि थाना मॉडल टाउन दिल्ली

83. मु0अ0सं0-031867/2024 धारा 305(बी)/317(2)/345(3)/340(2)/3(5) बीएनएस थाना मॉडल टाउन दिल्ली
84. मु0अ0सं0-030886/2024 धारा 305(बी)/317(2) बीएनएस थाना मालवीय नगर दिल्ली
85. मु0अ0सं0-031794/2024 धारा 305(बी) बीएनएस थाना साकेत दिल्ली
86. मु0अ0सं0-408/2024 धारा 303 बीएनएस थाना सेक्टर-27 सोनीपत हरियाणा
87. मु0अ0सं0-355/2024 धारा 303 बीएनएस थाना सेक्टर-27 सोनीपत हरियाणा
88. मु0अ0सं0-1983/2023 धारा 379,411,34 भादंवि थाना शिवाजी नगर गुडगांव सिटी हरियाणा
89. मु0अ0सं0-77/2023 धारा 379,411,34 भादंवि थाना सेक्टर-56 गुडगांव सिटी हरियाणा
90. मु0अ0सं0-59/2023 धारा 379,411,34 भादंवि थाना सिविल लाइन गुडगांव सिटी हरियाणा
91. मु0अ0सं0-110/2023 धारा 379,411,34 भादंवि थाना सेक्टर-9ए गुडगांव सिटी हरियाणा
92. मु0अ0सं0-88/2023 धारा 379,411,34 भादंवि थाना सेक्टर-53 गुडगांव सिटी हरियाणा
93. मु0अ0सं0-38/2023 धारा 379,411,34 भादंवि थाना सेक्टर-40 गुडगांव सिटी हरियाणा
94. मु0अ0सं0-53/2023 धारा 379,411,34 भादंवि थाना सेक्टर-53 गुडगांव सिटी हरियाणा
95. मु0अ0सं0-123/2023 धारा 379,411,34 भादंवि थाना सेक्टर-40 गुडगांव सिटी हरियाणा
96. मु0अ0सं0-67/2023 धारा 379,411,34 भादंवि थाना सिविल लाइन गुडगांव सिटी हरियाणा
97. मु0अ0सं0-18046/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना पंजाबी बाग वेस्ट दिल्ली
98. मु0अ0सं0 218/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना लिंकरोड कमिश्नरेट गाजियाबाद
99. मु0अ0सं0 236/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना मधुबनबापूधाम कमिश्नरेट गाजियाबाद
100. मु0अ0सं0 244/2026 धारा 317(2)/317(5)/345(3)/3(5) बीएनएस व 3/25 आयुध अधि0 थाना लिंकरोड कमिश्नरेट गाजियाबाद

अभियुक्त इमरान पुत्र मेहरबान का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0-408/17 धारा-147/148/149/307 भादवि थाना लिसाडी गेट मेरठ
2. मु0अ0सं0-165/18 धारा-411/413/420/414/467/468 भादवि थाना लालकुर्ती मेरठ
3. मु0अ0सं0-132/19 धारा-411/414 भादवि थाना लिसाडीगेट मेरठ
4. मु0अ0सं0-133/19 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना लिसाडी गेट मेरठ
5. मु0अ0सं0-110/23 धारा-379/34 भादवि थाना सैक्टर -9 ए गुरुग्राम हरियाणा
6. मु0अ0सं0-340/23 धारा-379/411/413/414/420/467/468/471/482/34 भादवि थाना सैक्टर-20 नोएडा
7. मु0अ0सं0-342/23 धारा-379/411/413/414/420/467/468/471/482/34 भादवि थाना सैक्टर-20 नोएडा
8. मु0अ0सं0-370/23 धारा-379/411/413/414/420/467/468/471/482/34 भादवि थाना सैक्टर-20 नोएडा
9. मु0अ0सं0-26076/23 धारा-379/411 भादवि थाना के0एन0 काटजू मार्ग दिल्ली
10. मु0अ0सं0-106/24 धारा-411/414 थाना इंचोली मेरठ

- 11.मु0अ0स0-636/24 धारा-305बी/62/221/132/109(1)/3(5) बीएनएस व 25/27 ए. एकट थाना भारतनगर दिल्ली
- 12.मु0अ0स0-32/25 धारा-221/132/121(1)/109(1)/3(5) बीएनएस व 25/27 ए.एकट थाना क्राईम ब्रान्च दिल्ली
- 13.मु0अ0स0-1143/25 धारा-305 बीएनएस थाना न्यू फ्रैण्ड्स कॉलोनी दिल्ली
- 14.मु0अ0स0-179/26 धारा-303(2)/317(2) बीएनएस थाना सिहानीगेट गाजियाबाद
- 15.मु0अ0स0-244/26 धारा-317(2)/317(5)/345(3)/3(5) बीएनएस व 3/25 ए.एकट थाना लिंक रोड गाजियाबाद

शारदीय नवरात्रि वर्ष 2026 के अवसर पर मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा की भावना जागृत करने हेतु कमिश्नेट गाजियाबाद में महिला वॉलंटियर्स फोर्स (MVF) के साथ भव्य पैदल मार्च का सफल आयोजन।

शारदीय नवरात्रि वर्ष 2026 के पावन अवसर पर मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा की भावना जागृत करने तथा महिला सशक्तिकरण के संदेश को व्यापक रूप से प्रसारित करने के उद्देश्य से आज दिनांक 11.10.2026 को कमिश्नेट गाजियाबाद के ग्रामीण जोन, ट्रांस हिंडन जोन एवं नगर जोन में एक भव्य एवं प्रभावशाली पैदल मार्च का आयोजन किया गया ।

यह कार्यक्रम महिला वॉलंटियर्स फोर्स (MVF) के सहयोग से जनपद के विभिन्न प्रमुख स्थानों से निकलकर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस पैदल मार्च में जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ जनपद के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण ने सक्रिय सहभागिता की गई। मार्च में विभिन्न विभागों की महिला टोलियाँ एवं वाहिनियाँ शामिल रहीं, जिनमें पुलिस विभाग, पीआरडी, होमगार्ड्स, आशा बहू, एएनएम, अध्यापिकागण, महिला चिकित्सक एवं नर्स तथा सफाई कर्मियों की महिला टीमें प्रमुख रूप से सम्मिलित हुईं। इसके अतिरिक्त स्कूल एवं कॉलेज की छात्राओं की सुसंगठित वाहिनियाँ भी मार्च में शामिल रहीं, जिससे कार्यक्रम में युवा पीढ़ी की भागीदारी सुनिश्चित हुई और संदेश अधिक प्रभावी ढंग से पहुँचा ।

मार्च के दौरान महिला सशक्तिकरण से संबंधित आकर्षक पोस्टर्स एवं बैनर्स प्रदर्शित किए गए, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आत्मनिर्भरता से जुड़े प्रेरणादायी संदेश शामिल थे । कार्यक्रम को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अन्य सजावट के साथ-साथ

प्रेरणदायी संगीत का भी समावेश किया गया, जिससे मार्च में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों एवं दर्शकों में उत्साह एवं जागरूकता का संचार हुआ।

मिशन शक्ति अभियान उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा में सशक्त भूमिका निभाने हेतु प्रेरित करना है। आज आयोजित यह पैदल मार्च न केवल सुरक्षा की भावना को मजबूत करने में सफल रहा, बल्कि समाज में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान की भावना को भी और अधिक जागृत किया। कार्यक्रम में शामिल सभी विभागों एवं संगठनों के सामूहिक प्रयास से मार्च सुव्यवस्थित एवं प्रभावशाली ढंग से संपन्न हुआ। इस आयोजन में ट्रांस हिंडन जोन, ग्रामीण जोन एवं नगर जोन से लगभग 2000 व्यक्तियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया।

इस आयोजन से यह स्पष्ट संदेश गया कि महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण केवल किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समस्त समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। जनपद के समस्त नागरिकों से अपील है कि वे मिशन शक्ति अभियान के उद्देश्यों के अनुरूप महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं सम्मान सुनिश्चित करने में अपना सक्रिय योगदान दें।